R. G. Gupta
Chairman & Managing Director

Jaipur Vidyut Vitran Nigam L
Vidyut Bhawan, Jan P
Jaipur-302 0

Chairman • Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited • Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Limited

JPR5- 486

क्रंमाक/जडि/मुअ(वा)/सी।/एफ4(210)/पार्ट–XVI/प्रे. 1978 दिंनाक 02.08.08

–: आदेश :–

विषय :– ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" की क्रियान्विति के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन हेतु।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया, राजस्थान के बजट भाषण 2008–09 में "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" की घोषणा के अनुरूप तैयार की गयी योजना की क्रियान्विति के लिये आदेश संख्या जडि/मुअ(वा)/ सी–।/एफ4 (210) पार्ट ग्ट॰/प्रे 1145 दिंनाक 29.4.08 (जेपीआर 5–466) एवं जडि/अध्यक्ष,वितरण निगमो/टी.ए./प्रे 405 दिनांक 3.5.08 के तहत् दिशा निर्देश जारी किये गये थे।एक अन्य आदेश क्रंमाक क्रंमाक/जडि/ मुअ(वा)/सी–।/एफ4(210) /पार्ट-XVI/प्रे. 1708 दिंनाक 2.7.08 (जेपीआर5–481) के द्वारा प्रथम चरण के आवेदन स्वीकार करने की तिथि को 31 जुलाई 2008 तक बढाया गया था।

इस सम्बन्ध में निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक दिनांक 22.7.08 में "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" की क्रियान्विति में आ रही कठिनाईयों को अवगत्त कराया गया । इस विषय में विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन जारी किया जावें।

अतः उपरोक्त निर्णय की अनुपालना में निम्नलिखित निर्देश तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते है:–

(1) इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 31 अगस्त,2008 तक आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

(2) इस योजना में ढाणियों के अतिरिक्त गांवों के **Habitat Areas** को भी शामिल कर लिया जाये और उसके आवेदकों के प्रार्थना पत्र भी 31 अगस्त, 08 तक स्वीकार किये जायें।

(3) यदि पूर्व में प्राप्त गैर आबादी क्षेत्र में प्राप्त प्रार्थना–पत्रों को निरस्त कर दिया गया हो एवं ऐसे मामले अब यदि "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" की परिधि में आते हो तो उन प्रकरणों पर पुनः कार्यवाही की जावे। इस तरह के प्रकरणों पर पुनः कार्यवाही हेतु आवेदक से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।